न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 39/2019

प्रार्थी
नरेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह, जाति राजपूत, निवासी गांव कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण
1. ग्राम पंचायत शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. जसुसिंह पुत्र बाबुसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. पेंपसिंह पुत्र बाबुसिंह, जाति राजपूत, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2009 ग्राम पंचायत शिकारपुरा तहसील लूणी एवं ग्राम पंचायत की कार्यवाही जरिये मिसल संख्या 5/2008–09 जिसके तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.05.2009 को जारी करने का निर्णय किया गया।

— — —

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता सुगनमल परिहार (अप्रार्थी संख्या 2)।
3. अप्रार्थी संख्या 3 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–आदेश –   दिनांक :31.12.2020

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में प्रस्ताव संख्या 2 एवं मिसल संख्या 5/2008–09 के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही जसुसिंह के भाई यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पेंपसिंह के द्वारा की गई, जो ग्राम पंचायत के सरपंच थे। पंचायती राज नियमों के तहत सरपंच स्वयं अपने लाभ के लिए निर्णय पारित नहीं कर सकता है। ग्राम पंचायत की कार्यवाही एवं जारी किये पट्टे से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत शिकारपुरा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत शिकारपुरा से मूल अभिलेख तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्र क्रमांक 8 दिनांक 25.07.2019 द्वारा अवगत कराया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:24 IST
Reason: SelfAttested

कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा वर्ष 2009 में जारी किये गये पट्टे से संबंधित मूल रिकॉर्ड गुम हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं करा सकता एवं इस रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पुलिस थाना लूणी में रिकॉर्ड गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में प्रस्ताव संख्या 2 एवं मिसल संख्या 5/2008—09 के तहत पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही जसुसिंह के भाई यानि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पेंपसिंह के द्वारा की गई, जो ग्राम पंचायत के सरपंच थे। पंचायती राज नियमों के तहत सरपंच स्वयं अपने लाभ के लिए निर्णय पारित नहीं कर सकता है। जिस भू—भाग का पट्टा अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया है वो भू—भाग आबादी का हिस्सा नहीं है एवं सिवाय चक गैर मुमकिन मगरा की भूमि है, उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 794 ग्राम कांकाणी में स्थित है। जिसे जिला कलक्टर महोदय के आदेश द्वारा संभावित खनिज क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखी हुई है। दिनांक 11.1.2018 को पटवारी कांकाणी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं मौका रिपोर्ट पर स्वयं रेस्पोडेन्ट ने अपनी सहमति दी है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन मगरा की सिवाय चक भूमि किसी को आवंटित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए भी मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध पट्टा जारी कर भारी भूल की है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियमों का उल्लंघन करते हुए नियम 157 (ख) के तहत 200 रूपये की रसीद के एवज में पट्टे जारी किये है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण पुराना या नया नहीं था एवं न ही अप्रार्थी का कभी उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.05.2009 द्वारा ग्राम पंचायत शिकारपुरा एवं समस्त कार्यवाही मिसल संख्या 5/2008—09 जिसके अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.05.2009 जारी किया गया, निरस्त फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 2 विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीकार का कथन है कि गैर निगरानीकार ने गैर कानूनी तरीके से पट्टा बनवाया है, उक्त तथ्य गलत है। गैर निगरानीकार के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधारों पर उक्त पंचायत निगरानी पेश की गई है, जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत से मुख्य अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत द्वारा कोई मूल रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया तथा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शिकारपुरा ने पत्र क्रमांक 8 दिनांक 25.07.2019 से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा वर्ष 2009 में जारी किये गये पट्टे से संबंधित मूल रिकॉर्ड गुम हो जाने के कारण उपलब्ध नहीं करा सकता एवं इस रिकॉर्ड के सम्बन्ध में पुलिस थाना लूणी में रिकॉर्ड गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। उक्त पट्टा राजस्थान पंचायत पंचायती राज नियम, 1996 नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 के अनुसार पुरानों गृहों का विनियमितिकरण – जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। (क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100 रूपये (ख) 50 वर्षों का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200 रूपये। इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। जब पट्टे में वर्णित भू–भाग पटवारी मौका फर्द अनुसार आबादी का हिस्सा नहीं है एवं जो ग्राम कांकाणी के खसरा नं0 794 किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि है, ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी को पट्टा जारी कर विधिक प्रावधानों का उंल्लघन किया है। ऐसी स्थिति में तथाकथित पट्टे का नियमानुसार जारी करना संदेहात्मक है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर जसुसिंह पुत्र बाबुसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर को ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 6 मिसल संख्या 5/2008–09 दिनांक 20.05.2009 को एतद् निरस्त किया जाता है। निर्णय पत्रावली के सलंग्न हो। निर्णय प्रति ग्राम पंचायत शिकरपुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

निर्णय दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:24 IST
Reason: SelfAttested

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर